


निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3/ 500 /2016-17 दिनांक 23 जनवरी 2017
कार्यालय ज्ञाप

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के आदेश संख्या: सेवायें-3/159/2016-17 दिनांक 05 जुलाई 2016 तथा आदेश संख्या: सेवायें-3/412/2016-17 दिनांक 05 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी पदों पर कार्यरत कार्मिकों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4800 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी। पदोन्नति आदेश में निर्देश दिये गये थे कि पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु समयबद्धि प्रदान नहीं की जायेगी। साथ ही यह भी निर्देश था कि पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

उक्त के क्रम में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जा रही है। उक्त पदोन्नति के सापेक्ष भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।



(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: सेवायें-3/ 24037-46 /2016-17 तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, प्रा0शि0/मा0शि0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0/मा0शि0 उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि पदोन्नति अस्वीकार किये जाने की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पंजिका में अनिवार्य रूप से की जाय।
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. कार्यालय आदेश पंजिका।


(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3/ 501 /2016-17 दिनांक 23 जनवरी 2017
कार्यालय ज्ञाप

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के आदेश संख्या: सेवायें-3/391/2016-17 दिनांक 28 नवम्बर 2016 द्वारा प्रधान सहायक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी। पदोन्नति आदेश में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति संशोधन/समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी। साथ ही यह भी निर्देश था कि पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

उक्त स्पष्ट निर्देशों के पश्चात् भी निदेशालय को बड़ी संख्या में समयवृद्धि/संशोधन के आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। निदेशालय के आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2016 में वर्णित शर्तों के आधार पर पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले प्रधान सहायकों की पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जा रही है। उक्त पदोन्नति के सापेक्ष भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।


(महावीर सिंह बिष्ट)


अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: सेवायें-3/ 24082-91 /2016-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक,शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, प्रा0शि0/मा0शि0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0/मा0शि0 उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि पदोन्नति अस्वीकार किये जाने की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पंजिका में अनिवार्य रूप से की जाय।
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. कार्यालय आदेश पंजिका।


(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड